न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआरए/157/2014

उनवान

1. रामसिंह पिता अमर सिंह राजपूत निवासी जालरिया तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
2. श्रीमती समुन्द्रकंवर पत्नि राम सिंह राजपूत निवासी जालरिया तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 16/2014 निर्णय दिनांक 22.10.2014

अधिवक्तागण :–

1. श्री एल आर पठान, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जालरीया तहसील माण्डल स्थित आराजी खसरा नम्बर 370 में से रकबा 0.85 हेक्टेयर भूमि कृषि प्रयोजन के लिए दिनांक 18.5.2005 को भू आवंटन कमेटी द्वारा आवंटीगण/विपक्षीगण को आवंटन किया गया । आवंटीगण/विपक्षीगण का आवंटनशुदा भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर कब्जा नहीं है। जबकि प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भू भाग पर व दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है। इस प्रकार आवंटीगण ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे। ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ग्राम जालरीया तहसील माण्डल स्थित आराजी खसरा नम्बर 370 में से रकबा 0.85 हेक्टेयर भूमि कृषि प्रयोजन के लिए किया गया आवंटन निरस्त करते हुए राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण का नाम अंकन किया गया है उसे सिवायचक बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में कथन किया कि विपक्षीगण/अपीलार्थीगण को जब से आवंटन हुआ तभी से ग्राम जालरिया की आराजी नम्बर 370 में से रकबा 0.85 हेक्टेयर भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी आवंटन के पश्चात अपीलार्थीगण ने मिट्टी इत्यादि हडालकर कृषि योग्य बनाया है। आवंटित भूमि के चारों तरफ थोहर की बाड लगा रखी है तथा काफी श्रम व धन लकाकर उक्त आराजियात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को काबिलकाश्त बनाया है। उक्त आराजी पर कुआ नहीं है इस कारण हर वर्ष एक बरसाती फसल हाती है तथा उक्त आराजी नोन कमाण्ड एरिया में अपीलार्थीगण को आवंटित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण को किया गया आंवटन खारिज किया है जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त आराजी में होने वाली फसल से अपीलार्थीगण अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं। पटवारी हल्का मौके पर कभी भी जिन्सवारी करने नहीं आते हैं । केवल मात्र ऑफिस में बैठकर खानापूर्ति करते हैं इस कारण खसरा गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं किया हुआ है। जबकि विपक्षीगण/अपीलार्थीगण का आवंटन दिनांक से उक्त आराजियात पर निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने बिना मौका निरीक्षण किये राजनीतिक द्वेषतावश बहकावे में आकर गलत तथ्यों के आधार पर झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो पर्चा मौका बनाया गया है वह भी ऑफिस में बैठकर बनाया गया है। अपीलार्थीगण के पास वादग्रस्त आराजी के अलावा आजीविका का कोई साधन नहीं है । अपीलार्थीगण ने इस वर्ष भी तिल्ली व खुलत की फसल काश्त की है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । मौका कमिश्नर की नियुक्ति हेतु अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। जिसे मात्र शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज किया गया । निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

7. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के समय से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण ने आवंटन शर्तो की पूर्णतः पालना की है। वादग्रस्त आराजी को काबिलकाश्त बनाने में काफी श्रम व धन अपीलार्थीगण ने लगाया है। पटवारी हल्का ने मौके पर आकर कभी जिन्स गिरदवारी नहीं बनाई है। अपीलार्थीगण ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हैं। अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के समय से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का आवंटन नियत शर्तो पर किया गया है जिसके तहत प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि के 50 प्रतिशत भू भाग पर काश्त करना एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भू भाग पर काश्त करना अनिवार्य होता है। अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थीगण के कथनों की ताईद होती हो। जहॉ तक मौका कमिश्नर का प्रार्थना पत्र गलत रूप से खारिज करने का कथन है , वह सही नहीं है। साक्ष्य के सृजन हेतु मौका कमिश्नर नियुक्ति उचित नहीं मानी जा सकती है।

9. अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी/प्रत्यर्थी ने राजनीतिक द्वेषतावश अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो पर्चा मौका बनाया गया है वह पटवारी हल्का ने ऑफिस में बैठकर बनाया है। अपीलार्थीगण से प्रार्थी की द्वेषता किस कारण से है यह अपीलार्थीगण ने साबित नहीं कराया है। जहॉ तक पटवारी हल्का द्वारा गलत पर्चा मौका बनाने का प्रश्न है अपीलार्थीगण ने भी अपने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कथनों की ताईद में कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त होना प्रमाणित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2014 को यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

31/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा